राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम / प–2 / 1 / 4 / रातस / तह.कार्यव्यवस्थार्थ / 2021–22 / 4281 दिनांकः 05/03/2022

–ः आदेश ः–

संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) जयपुर, के पत्र क्रमांक प.7(3)राज–1 / 2019 दिनांक 05.03.2022 के क्रम में राजस्व विभाग में राजकार्यों के समय पर निष्पादन हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर स्वयं की वेतन श्रृंखला (पातेय वेतन) में नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन किया जाना है।

नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन पूर्णतयाः अस्थायी आधार पर अग्रिम आदेश होने तक, बिना किसी नियमित पदौन्नति का कोई अधिकार एवं परिलाभ प्रदत्त किये किया जाना है। इस हेतु किसी भी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा तथा कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन नियमित पदौन्नति की मांग का आधार नहीं होगा और ना ही नियमित पदौन्नति हेतु अधिकार प्रदत्त होगा। कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन केवल नियमित पदौन्नति से पदौन्नत राजसेवक उपलब्ध होने तक ही मान्य होगा। इससे वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

अतः उक्त निर्देशों की पालना में निम्नांकित भू–अभिलेख निरीक्षकों को नायब तहसीलदार के पद पर वरिष्ठता के आधार पर स्वयं की वेतन श्रृंखला (पातेय वेतन पर) में कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर एतद्द्वारा तुरंत प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :–

क.सं.	Sen. S. NO.	नाम	पिता का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नायब तहसीलदार पद पर कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन स्थान	जिला
1	1748	HARICHARAN SHARMA	RAM NARAYAN SHARMA	ILR DISTRICT Jodhpur	PTS Jodhpur	JODHPUR
2	1795	DEVA RAM	PRAHLAD RAM JAT	ILR DISTRICT Jodhpur	Reg. Deptt. Jodhpur	JODHPUR
3	1846	BHOPAT SINGH	GANGA SINGH RATHORE	ILR Bavri DISTRICT Jodhpur	ACM FT Jodhpur	JODHPUR

राजस्व मण्डल के समसंख्यक आदेश क्रमांक 4220 दिनांक 05.03.2022 में क्रम संख्या 85 पर श्री अमर सिंह, 165 पर बिशनाराम एवं 221 पर प्रकाश चन्द कोठारी के नाम एतद्द्वारा तुरंत प्रभाव से विलोपित किये जाते है। राजस्व मण्डल के पूर्व आदेश से पदस्थापित श्री राकेश यथावत नायब तहसीलदार चिखली जिला डूंगरपुर, श्री रामनिवास गोदारा यथावत नायब तहसीलदार पीलवा जिला नागौर, श्री बिशनाराम यथावत नायब तहसीलदार परबतसर जिला नागौर एवं श्री नरपत सिंह झाला यथावत नायब तहसीलदार पीटीएस उदयपुर के पद पर पदस्थापित रहेंगे।

नोटः– उक्त अधिकारियों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। कोई कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के गृह तहसील में पदस्थापित हो जाने पर सम्बंधित जिला कलक्टर कार्यग्रहण नहीं करवाते हुए तुरंत इसकी सूचना मय पुष्टियर्थ दस्तावेज के राजस्व मण्डल को देवें।

उक्त कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन निम्न शर्तो के अध्ययधीन रहेगा :–

1– स्क्रीनिंग समिति द्वारा उक्त भू–अभिलेख निरीक्षकों की प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर केवल कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापन हेतु स्क्रीनिंग की गयी है। स्क्रीनिंग समिति की रिपोर्ट केवल और केवल मात्र उक्त भू–अभिलेख निरीक्षकों के केवल कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन हेतु उपयोगी होगी इसका अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग नहीं किया जा सकेगा और इसके आधार पर कोई भी भू–अभिलेख निरीक्षक किसी भी भांति के अनुभव, पदोन्नति एवं वित्तीय परिलाभ का न तो हकदार होगा और नहीं किसी हक का दावा / मांग किसी भी न्यायालय / अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था / विभाग के समक्ष करेगा।

2– कार्यव्यवस्थार्थ नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थापित भू–अभिलेख निरीक्षक कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन की कार्यावधि के आधार पर किसी भी प्रकार की पदीय वरिष्ठता के हकदार नहीं होंगे तथा उक्त कार्यावधि के आधार पर प्राप्त किसी अनुभव का पदोन्नति या वरिष्ठता में शुमार नहीं किया जायेगा। ना ही भू–अभिलेख निरीक्षक इस आधार पर वरिष्ठता या पदोन्नति का दावा /मांग करेगा।

Scanned with CamScanner

3– यह केवल मात्र कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन है इसे किसी भी रूप में तदर्थ अथवा नियमित पदोन्नति की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। न तो कोई भू–अभिलेख निरीक्षक उक्त आधार पर किसी तदर्थ या नियमित पदोन्नति का हकदार होगा और ना ही वह ऐसे किसी हक का दावा या मांग भविष्य मे किसी भी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष पेश करेगा।

4– उक्त भू–अभिलेख निरीक्षक मूल रूप से भू–अभिलेख निरीक्षक ही बने रहेगे तथा भू–अभिलेख निरीक्षक को प्राप्त वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य वित्तीय परिलाभ के न तो हकदार होंगे और न ही किसी हक का दावा या मांग भविष्य मे किसी भी न्यायालय/अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष पेश करेगा।

5– कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन के उक्त आदेश को प्रशासनिक आधार पर किसी भी समय प्रत्याहरित किया जा सकेगा और भू–अभिलेख निरीक्षक को उनके मूल पद पर पुनः पदस्थापित किया जा सकेगा। कोई भू–अभिलेख निरीक्षक इस संदर्भ में लिये गये किसी निर्णय को किसी भी न्यायालय/अधिकरण अथवा प्रशासनिक संस्था/विभाग के समक्ष चुनौती नहीं देगा।

आदेशानुसार,

5/3/22

(भंवर सिंह सान्दू)
निबन्धक,
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर

क्रमांकः सम/4282–95 दिनांकः 05/03/2022

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– निजी सचिव मा. अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज.,अजमेर ।
2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग जयपुर।
3– विशिष्ठ सहायक, मा. राजस्व मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
4– संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान, जयपुर ।
4– आयुक्त, भू–प्रबंध विभाग राजस्थान, जयपुर ।
5– आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर ।
6– महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अजमेर।
7– संभागीय आयुक्त जोधपुर/उदयपुर/अजमेर।
7– जिला कलेक्टर जोधपुर/नागौर/उदयपुर/डूंगरपुर।
8– निदेशक, आर.आर.टी.आई. अजमेर।
9– प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/वि.जांच/प्रशासन/कंप्यूटर्स)राजस्व मण्डल राज.,अजमेर।
10– . . . .
11– सम्बंधित. . . . .
12– आदेश पंजिका/ निजी पत्रावली ।

5/3/22
निबन्धक,
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर

Scanned with CamScanner